भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 149
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी
***149. श्री हनुमान बेनीवालः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाने वाली खरीद की समीक्षा करती है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान पहचान की गई कमियों का ब्यौरा क्या है और इनको दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए किसी कानून को बनाने का है, यदि हां, तो इसे कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाने के लिए एक समिति का गठन किया है; और
(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा अब तक की गई बैठकों का ब्यौरा क्या है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी स्थिति के संबंध में समिति द्वारा क्या सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी" के संदर्भ में लोक सभा में 10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 149* के भाग (क) से (ङ) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की है जिससे देश भर के किसान लाभान्वित हुए हैं।

एमएसपी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एमएसपी की घोषणा के पश्चात, सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। जब कभी दलहन, तिलहन और कोपरा का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है, तब संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से इन उत्पादों की खरीद, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाती है। पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) और नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान की गई अखिल भारतीय खरीद के आंकड़ों और किसानों को दी गई एमएसपी राशि के निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है कि बढ़ी हुई एमएसपी से राजस्थान सहित देश के किसान लाभान्वित हुए हैं:

एमएसपी फसलों की खरीद और एमएसपी मूल्य

सभी एमएसपी फसल	2022-23	2023-24	2024-25
कुल खरीद (लाख मिट्रिक टन में)	1,118	1,089	1,223
कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	2.47	2.63	3.47

घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030-31 तक पूर्व-पंजीकृत किसानों से उनकी पेशकश के अनुसार तुअर, उड़द और मसूर की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।

वर्ष 2024-25 सीजन से, सरकार ने किसानों के हित में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत एक और घटक को शामिल किया है जिसके तहत उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक परिवहन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ग) से (ङ): मूल्य समर्थन योजना (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा 12 जुलाई, 2022 को एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की विषय-वस्तु में निम्नलिखित भी शामिल हैं: (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यावहारिकता पर सुझाव और इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (ii) देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करना ताकि घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और अब तक 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

*****